



प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1

लखनऊ::दिनांक 08 मई, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं०-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से प्रयागराज मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 10 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-21080/CE-HQ1/RSN5054/PRJ/2026-27, दिनांक 04.05.2026 एवं पत्र संख्या-21158/CE-HQ1/RSN5054/PRJ/2026-27, दिनांक 06.05.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार प्रयागराज मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 10 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल ₹० 4,31,28,000/- (रुपये चार करोड़ इकत्तीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं०-58 के लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹० लाख में)

क्र० सं०	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावधिक/गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-1 प्रतापगढ़	कैथोला-बीरषाहपुर हाईवे से देलहुपुर-रानीगंज हाईवे के आगे बरीबोझ, राजा का पुरवा तक,	130 /2025/आई/904716 /23-1-25/003-23-1002(002)/7/2025- दिनांक-11-03-2025	314.37 276.39 207.09 2.22 274.17	216.05	58.12	44.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र० सं०	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावधिक/गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		नहर की पटरी होते हुए कामापुर सरैया, पूरे दीवान, कैथोला तक सम्पर्क मार्ग।					
2	नि.ख.-1 प्रतापगढ़	मनोहरापुर (रामपुर दाबी) से जहानाबाद, लवाना मार्ग तक वाया शिव बक्ष का पुरवा, कामापट्टी नहर की कोठी (प्रतापगढ़ ब्रांच नहर पटरी सम्पर्क मार्ग।	130 /2025/आई/904716 /23-1-25/003-23-1002(002)/7/2025-दिनांक-11-03-2025	<u>466.08</u> <u>415.18</u> <u>209.93</u> <u>63.00</u> <u>352.18</u>	226.54	125.64	100.00
3	प्रा.ख. प्रयागराज	भीरपुर भगनपुर मार्ग के राइडिंग क्वालिटी सुधार का कार्य।	51 /2024/आई/495937 /23-1-24/001-23-1002(002)/27/2024-दिनांक-15-02-2024	<u>527.17</u> <u>527.17</u> <u>290.84</u> <u>134.25</u> <u>392.92</u>	384.93	7.99	7.99
4	प्रा.ख. प्रयागराज	राजस्व ग्राम ओनोर उपरहार में डांडी का पुरा संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	454 /2025/आई/111093 7/23-1-25/001-23-1002(002)/224/2025 5 दिनांक 08.10.2025-दिनांक-08-10-2025	<u>79.38</u> <u>79.38</u> <u>34.32</u> <u>31.26</u> <u>48.12</u>	7.40	40.72	38.31
5	प्रा.ख. प्रयागराज	चन्द्रसेन से मोहदीनपुर अमरायन लिंक रोड	120 /2026/आई/125236 7/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	<u>72.97</u> <u>72.97</u> <u>35.28</u> <u>24.23</u> <u>48.74</u>	3.40	45.34	42.90
6	प्रा.ख. प्रयागराज	भगवतपुर से खानपुर सतवा वाया चिरला मुजफ्ता लिंक रोड	120 /2026/आई/125236 7/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	<u>110.30</u> <u>109.41</u> <u>50.27</u> <u>39.43</u> <u>69.98</u>	5.14	64.84	61.34
7	प्रा.ख. प्रयागराज	मदारीपुर डामर रोड से अगहार बस्ती तक मार्ग।	120 /2026/आई/125236 7/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	<u>82.06</u> <u>82.06</u> <u>39.25</u> <u>27.64</u> <u>54.42</u>	3.83	50.59	47.87
8	प्रा.ख. प्रयागराज	असरावल खर्दु मैनापुर सड़क से मकनपुर तक मार्ग ।	120 /2026/आई/125236 7/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	<u>67.07</u> <u>67.07</u> <u>32.25</u> <u>22.46</u> <u>44.61</u>	3.13	41.48	39.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र० सं०	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावधिक/गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
9	प्रा.ख. प्रयागराज	बस्तर में बरम की मोरी हाइवे रोड से कालू का पुरा नहर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।	120 /2026/आई/125236 7/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026 -दिनांक-27-02-2026	<u>35.38</u> <u>35.38</u> <u>16.17</u> <u>12.85</u> <u>22.53</u>	1.65	20.88	19.75
10	प्रा.ख. प्रयागराज	ग्राम सभा सुलमई में काली रोड ब्राम्हण बस्ती से निषाद बस्ती तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।	120 /2026/आई/125236 7/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026 -दिनांक-27-02-2026	<u>50.31</u> <u>50.31</u> <u>24.58</u> <u>16.39</u> <u>33.92</u>	2.35	31.57	29.87
						कुल योग-	431.28

- (1) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2027 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यो के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।
- (2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।
- (4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।
- (5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

- (6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय कुल **रु० 4,31,28,000/- (रुपये चार करोड़ इकत्तीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/ सुदृढीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-373/2026/आई/1322458(1)/23-1-26/003-23-1002(002)/240/2026, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- 4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
- 5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
- 6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- 9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
- 11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।